उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-15/2023/306/दो-2-2023-28/2(7)/2022
लखनऊ: दिनांक: 03 अप्रैल,2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अंजनी कुमार सिंह,पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी (नगर),आगरा जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**31-03-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री अंजनी कुमार सिंह,पी.सी.एस.से0नि0,पता-म0नं0-201, ग्रीनउड फेज-1, ओमेगा-1, गौतमबुद्धनगर, पिन-201310 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड)

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-15/2023/306(।)/दो-2-2023-28/2(7)/2023

लखनउ: दिनांक: 03 अप्रैल,2023

आदेश

श्री अंजनी कुमार सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**जी0ए0यू0-77911** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री अंजनी कुमार सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-20/मिलान डायरी-116/361751, दिनांक 20/21.07.2022 के अनुसार वर्ष-2020-21 तक कुल जमा धनराशि रू0 40,05,486/-(रू0 चालीस लाख पॉच हजार चार सौ छियासी मात्र) जिस पर माह 3/2021 तक ब्याज सम्मिलित है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-36,04,937/-(रू0 छत्तीस लाख चार हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री अंजनी कुमार सिंह, से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम(निधि-20) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। **(रजिस्टर्ड)**

2- **जिलाधिकारी,आगरा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री अंजनी कुमार सिंह,**पी.सी.एस. तत्कालीन अपर जिलाधिकारी,आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा । (रजिस्टर्ड)**

4- श्री अंजनी कुमार सिंह,पी.सी.एस.,से.नि.पता-म0नं0-201,ग्रीनउड फेज-।, ओमेगा-।,गौतमबुद्धनगर, पिन-201310 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड)

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in